



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 16/2017 प०पा० 61 (176) 3110,

दिनांक - 01/10/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

विषयः-

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में मांग संख्या-02 के अधीन बजट शीर्ष -2403- पशुपालन, केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) 106- अन्य पशुधन विकास 0210- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड -02-2403001060210 एवं 2403- पशुपालन, केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) 106- अन्य पशुधन विकास 0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड- 02-2403001060310 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 21,42,57,000/- (इक्कीस करोड़ बयालिस लाख सन्तावन हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभागीय राज्यादेश संख्या-343 दिनांक- 29.01.2018 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 21,42,57,000/- (इक्कीस करोड़ बयालिस लाख सन्तावन हजार रूपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं :-

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड		कुल राशि
		02-2403001060210 (केन्द्रांश)	02-2403001060310 (राज्यांश)	
1	2	3	4	5
1	27 01- लघु कार्य	47625000	77050000	124675000
2	52 01- मशीनें एवं उपस्कर- अन्य	80632000	8950000	89582000
कुल :-		128257000	86000000	214257000
₹ 21,42,57,000/- (इक्कीस करोड़ बयालिस लाख सन्तावन हजार रूपये) मात्र				

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं० -2 के अधीन आय-व्ययक शीर्ष 2403- पशुपालन 106- अन्य पशुधन विकास 0210- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड- 02-2403001060210 एवं आय-व्ययक शीर्ष 2403- पशुपालन 106- अन्य पशुधन विकास 0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड-02-2403001060310 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन "केन्द्र प्रायोजित स्कीम" राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DC) के अन्तर्गत Establishment and Strengthening of Existing Veterinary Hospitals & Dispensaries (ESVHD) के तहत 50 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण तथा 1084 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के सुदृढीकरण की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998, 428/वि० दिनांक-31.03.2017, 3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं 1208/वि० दिनांक- 13.12.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यह आवंटन द्वितीय अनुपूरक आगणन से आच्छादित है।

(Signature)

(Signature)

(क) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(ख) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

(ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

5- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/ प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।


विश्वासभाजन



निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 61 (13) 31/10 पटना-15, दिनांक 01/02/2018


प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी0 ए0 -57-96-97 प0पा0 -9 -46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/ उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 61 (13) 31/10 पटना-15, दिनांक 01/02/2018


प्रतिलिपि - संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 61 (13) 31/10 पटना-15, दिनांक 01/02/2018

प्रतिलिपि - उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट -3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 61 (13) 31/10 पटना-15, दिनांक 01/02/2018


प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं0 - 8 बजट (1) 16/2017 प0 पा0 61 (13) 31/10 पटना-15, दिनांक 01/02/2018

प्रतिलिपि- विभागीय सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09, योजना शाखा-06 एवं 10 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, पशुपालन।

